

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 35/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/00035)

निर्णय दिनांक: 15-11-2022

1. संतोष कुमार पुत्र श्री चम्पालाल जाति ब्राहमण निवासी बिन्नाणी चौक,
तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांत

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 02-09-1997
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री किशन कुमार ओझा, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांत ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 02-09-1997 जिसके द्वारा अपीलांत द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में अन्य को आवंटन बताकर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



3.

विद्वान् अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 3 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 76/50 में विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट् द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट् को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट् रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट् को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02-09-1997 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा पूर्व में अन्य को आवंटित होने का बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलांट् द्वारा आवेदित रकबा विशेष आवंटन के गजट में नोटिफाईड किया हुआ है। जो कि स्कीम का रकबा था व अभी भी गजट में आरक्षित है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है। यदि वादग्रस्त भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित थी तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत अथवा राजस्व अमलें को इस आशय का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिए था कि उक्त भूमि पूर्व में आवंटित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा उक्त रकबे के स्थान पर अन्य रकबे के आवंटन की मांग अदालत मातहत के समक्ष की जाती। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गजट का मिलान ही नहीं किया व एक साईक्लोस्टाईल आर्डरशीट में चक नम्बर व मुरब्बा नम्बर भरकर अपीलांट् के प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलांट् एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट् को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02-09-1997 के विरुद्ध अपील दिनांक 12-01-21 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित भूमि है ऐसी स्थिति में अब अपीलांट न तो आवंटन के समय नाही आज दिनांक को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।



5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 02-09-1997 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 12-01-2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद धोषित की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल में चक 3 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 76/50 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

2
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 3 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 76/50 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में जाँच के दौरान यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित मुरब्बा अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही अन्य व्यक्ति को आवंटित है। ऐसीस्थिति में जब अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित हो चुकी है, लिहाजा उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त/आवंटित नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को आराजीराज दर्ज रिकार्ड हो। विशेष आवंटन नियमों में अन्य भूमि प्रदान किये जाने के प्रावधान निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।



7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 02-09-1997 यथावत बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय आज दिनांक 15-11-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(रामस्वरूप चौहान)
राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर